न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 25/2019

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
मोहनी पत्नी श्री रेंवतराम जाति जाट निवासी सांईयों की ढाणीयां गोपासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

वादीनी अधिवक्ताः– श्री राजेन्द्र चौधरी

प्रतिवादी अधिवक्ताः– सरकारी पैरोकार।

–ःनिर्णयः–

दिनांक 27/8/19

वादीनी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–सरहद मौजा शिवनगर पटवार हल्का घेवड़ा तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा बारानी तृतीय की भूमि वादीनी की आई हुई है। जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा प्रभावित रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी के आधार कार्ड परिचय पत्र भामाशाह कार्ड आदि में उसका नाम मोहनी पत्नी श्री रेवतराम है जबकि वादीनी ने जमीन खरीदी उस समय सहवन से टंकणिय त्रुटि के कारण रेंवतराम की जगह रावतराम दर्ज कर दिया इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि वास्तव में वादीनी के पति का नाम रेंवतराम है। इसलिए वादीनी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मोहनी पत्नी रावतराम के स्थान पर मोहनी पत्नी रेंवतराम करवाना चाहती है। जिससे वादीनी को अपने हक हिस्से की भूमि में विकास कार्य करवाने में समस्या न हो। वादीनी के आधार कार्ड भामाशाह कार्ड परिचय पत्र राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार बेचान नामे में जो मोहनी पत्नी रावतराम दर्ज है वह टंकणीय त्रुटि है जिसमें सुधार करना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 01.03.2019 को उस वक्त पैदा हुआ जब वादीनी ने हल्का पटवारी अपनी भूमि की नकल प्राप्त की तब वादीनी को ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति का नाम रावतराम दर्ज है तो वादीनी ने प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड में अपने पति का नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध दर्ज करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि न्यायालय से आदेश लाना होगा, तब पैदा हुआ हुआ जो निरन्तर आज भी विद्यमान है। वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा शिवनगर पटवार हल्का घेवड़ा तहसील ओसियां के खेत

सहायक कर्मचार, ओसिया

खसरा नम्बर 184 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा बारानी तृतीय की भूमि में वादीनी के 1/2 हिस्सा है जिसके राजस्व रेकर्ड में टंकणीय त्रुटि से दर्ज मोहनी पत्नी रावतराम के स्थान पर मोहनी पत्नी रेंवतराम के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। वादीनी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो रेकर्ड पर लिये गये।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। वादीनी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वादीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम शिवनगर पटवार हल्का घेवड़ा, तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में मोहनी पत्नी रावतराम के स्थान पर मोहनी पत्नी रेंवतराम का दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 27/8/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner